



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1368 सन् 2026

कृष्ण कांत सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार मिश्रा, मयंक मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-उत्तरदातागण की ओर से पेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबंधित जिला अधिकारी को उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
3. जब न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर करने के अधिकार के बारे में प्रश्न उठाया गया, तो यह बहुत ही निष्पक्ष रूप से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को आगे न बढ़ाए जाने के आधार पर खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।
5. तदनुसार, रिट याचिका को आगे न बढ़ाए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को कार्रवाई के समान कारण के लिए नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 4, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"